संख्या : 32/2016/528/छप्पन-2016-108/2000

प्रेषक,

कृष्ण चन्द्र राय शर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 31 मार्च, 2016

विषय :नागरिक उड्डयन निदेशालय की वेबसाइट की नवीनीकरण एवं विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1099/ना0उ0नि0/लेखा-2016, दिनांक 22-3-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागरिक उड्डयन निदेशालय की वेबसाइट की नवीनीकरण एवं विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था यू0पी0डेस्को के प्रस्ताव अनुसार निदेशालय की वेबसाइट की नवीनीकरण एवं विकास कार्य हेतु मै0 सिल्वर टच टेक्नॉलॉजी लि0, अहमदाबाद का चयन किया गया है। उक्त कार्यदायी संस्था आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग के शासनादेशों के अन्तर्गत कार्य करने हेतु चयनित है। तदनुसार कार्यदायी संस्था यू0पी0 डेस्को, लखनऊ से कार्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है, इस प्रकार निदेशालय की वेबसाइट नवीनीकरण पर होने वाले अनुमानित व्यय रूपये 8,10,548.92 अर्थात रूपये 8,10,500.00 का अग्रिम भुगतान यू0पी0डेस्को, लखनऊ को किया जाना है। अत: राज्यपाल महोदय कार्यदायी संस्था यू0पी0डेस्को, लखनऊ को रूपये 8,10,500.00 (रूपये आठ लाख दस हजार पांच सौ मात्र) के अग्रिम भुगतान की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त अग्रिम धनराशि रूपये 8,10,500.00 (रूपये आठ लाख दस हजार पांच सौ मात्र) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं संख्या- ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10.06.2011 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(2) अग्रिम के रूप में आहरित की जा रही समस्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31 मार्च, 2016 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किए जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किए जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

(4) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(5) क्रय किए जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं दर सुनिश्चित करने का दायित्व क्रेता विभाग का होगा।

(6) निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरणों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो एवं मूल्य प्रचलित बाजार दर से अधिक न हो।

(7) स्वीकृत/अग्रिम की धनराशि का व्यय संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(8) कार्य के पूर्ण होने के पश्चात निदेशक द्वारा अग्रिम धनराशि के समायोजन की पुष्टि करते हुए शासन को तत्काल अवगत कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन लेखा शीर्षक - 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय की मानक मद-46-कम्प्यूटर/हार्डवेयर का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- एफ-ए-1-160/दस-2016, दिनांक 31 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

पृ0सं0 : 32/2016/528(1)/छप्पन-2016-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।

--- 3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 / वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0डेस्को, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।